भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2521
सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

श्रमबल में नियोजित महिलाएं

2521. श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में श्रमबल में नियोजित पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का और अधिक संख्या में महिला श्रमिकों को रोजगार देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार था:

वर्ष	पुरुष डब्ल्यूपीआर (% में)	महिला डब्ल्यूपीआर (% में)
2020-21	73.5	31.4
2021-22	73.8	31.7
2022-23	76.0	35.9

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़ें दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश में पुरुष और महिला दोनों के लिए रोजगार को दर्शाने वाला कामगार जनसंख्या अनुपात बढ़ रहा है और इसमें अंतर कम हो रहा है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में, सुरक्षा के अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सैवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य अवस्थाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा वेतन से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

सरकार, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****